न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः नरेश कुमार मालव, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 46/2019 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

सुनील पुत्र प्रतीम जाति जाट निवासी सादपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना

.....रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 20.06.2019 तहसीलदार बयाना मिसिल नम्बर 17/2019 उनवानी सरकार बनाम सुनील (91 एलआर एक्ट)

उपस्थित :

1. श्री दुलीचन्द शर्मा, वकील अपीलान्ट।
2. पेरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक – 27.02.2020

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार बयाना की आज्ञा दिनांक 20.06.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार बयाना द्वारा दिनांक 20.06.2019 को दिया गया निर्णय विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यो के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि प्रार्थी को 20.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने के लिये नोटिस प्राप्त हुआ था, इस अपीलान्ट दिनांक 20.06.19 को करीब 10.30 बजे न्यायालय में हाजिर होने के लिये पहुंचा, परन्तु रीडर ने बताया कि पत्रावली आधे घंटे पहले ही निर्णय कर पैनल्टी व बेदखली से दंडित कर दिया है। प्रार्थी को जबाब देने, साक्ष्य पेश

करने व अपने बचाव के लिये तथ्य पेश करने का अवसर नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया गया निर्णय तानाशाह पूर्ण, विधि विरूद्ध व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया है कि विवादित भूमि गैरमुमकिन रास्ता नहीं, अपितु आबादी क्षेत्र की भूमि है, जिसमें ग्राम के अनेकों लागो का प्राचीनकाल से पूर्वजों के समय से ही रहवास व कच्चा–पक्का निर्माण है तथा आम जनता के रहने गैतवाडे आदि के काम आ रही है। अधीनस्थ न्यायायल ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि प्रार्थी का कब्जा कोई नया नहीं है। प्रार्थी इस विवादित भूमि का उपयोग अपने पूर्वजो के समय से ही लगातार गैतवाडे व रहने तथा जीवनयापन करने के लिये कर रहा है। प्रार्थी ने अपने जीवनयापन हेतु एक छोटा सा दुकाननुमा खोखा भी करीब 30 साल से पूर्वजों के समय से ही रख रखा है। प्रार्थी के द्वारा इसमें विद्युत कनैक्शन भी है, इन सारे तथ्यों को नकारते हुये राठौरीतौर पर विधि विरूद्ध निर्णय किया है। इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया है कि प्रार्थी के विरूद्ध पटवारी हल्का द्वारा गांव की वैमनस्यतापूर्ण राजनीति से प्रेरित होकर झूठी रिपोर्ट पेश की गई है, जबकि अन्य लोगों का कब्जा बैध है तो फिर अकेले प्रार्थी का कब्जा कैसे गैर कानूनी हो गया। विधिक तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया है कि प्रार्थी का कब्जा अपने पूर्वजों के समय से ही है। वह इसे लैण्ड रैवन्यू एक्ट के लागू होने से पूर्व से ही उपयोग उपभोग के काम में लेते आ रहे है। इस कारण प्रार्थी पर इस उक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते है। मौके पर पूरा रास्ता सुचारू रूप से चालू है, प्रार्थी के द्वारा रास्ते पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय वास्तविक तथ्यों से परे व आधारहीन है। प्रार्थी के पास इस भूखण्ड के अलावा अन्य कोई भूमि गैतवाडे, चारा रखने, अपने जीवनयापन हेतु खोखा रखने व उठने बैठने के लिये नहीं है, प्रार्थी का पूर्वजों के समय से ही करीब 100 साल से भी ज्यादा समय से कब्जा है तथा ऐसा लैण्ड रेवन्यू एक्ट के लागू होने से पूर्व से ही उपयोग उपभोग में ले रहा है, यदि प्रार्थी से यह भूखण्ड छीन लिया तो वह परिवार सहित सडक पर आ जावेगा व जीवन दूभर हो जायेगा, इसलिये इस भूखण्ड को प्रार्थी के लिये आवंटित किया जाना न्यायोचित है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार बयाना दिनांक 20.06.2019 को निरस्त फरमाने जाने का निवेदन किया गया।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार बयाना से प्राप्त तहत पत्रावली शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.19 विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत पारित किया है। अपीलान्ट को साक्ष्य आदि पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है। विवादित भूमि गैर मुमकिन रास्ता नहीं है अपितु आबादी क्षेत्र की भूमि है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट प्रचीनकाल से पूर्वजो के समय से ही कच्चा/पक्का निर्माण कर गैतवाडा आदि के रूप में उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। पटवारी हल्का ने द्वेषता वश एवं राजनीति से प्रेरित होकर झूॅठी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मौके पर रास्ता सुचारू रूप से चालू है। अपीलान्ट के द्वारा रास्ते कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। अन्त में अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

पैरोकार सरकार ने अपने तर्को में जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 455 रकवा 0.66 है0 वाकै नगला कुरवारिया में से 0.08 है0 पर अपीलान्ट ने पत्थर डालकर, पक्का निर्माण कर, एक बोर वैल लगाकर, दीवार बनाकर तथा एक खोखा दुकान रखकर अतिक्रमण किया हुआ है। राजस्व अभिलेख खसरा परिवर्तन निर्धारण तथा गैर मुस्तकिल काश्त संवत 2076 में विवादित खसरा नम्बर गैरमुमकिन रास्ता दर्ज है, जिस पर तहसीलदार ने विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलान्ट अतिक्रमी को बेदखल करने की जो आज्ञा पारित की है वह विधिसंवत है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14.06.2019 व 15.06.2019 को पटवारी हल्का एवं आई.एल.आर. की मौजूदगी में मौका दिखवाया और मौके की रिपोर्ट ली गई है। मौका रिपोर्ट दिनांक 15.06.2019 में अपीलान्ट द्वारा अवैध निर्माण करते हुये पाये जाने अपीलान्ट सुनील को निर्माण बन्द करने हेतु पावन्द किया। मौका रिपोर्ट दिनांक 15.06.2019 में अतिक्रमी सुनील के हस्ताक्षर भी है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 455 रकवा 0.66 है0 में से 0.08 है0 ग्राम नगला कुरवारिया किस्म गैरमुमकिन रास्ता पर पत्थर डालकर, पक्का निर्माण कर, एक बोर वैल लगाकर, दीवार बनाकर तथा एक खोखा दुकान रखकर अतिक्रमण किया हुआ है। अतिक्रमी अपीलान्ट के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने

सम्बन्धित हल्का पटवारी एवं आई.एल.आर. की दिनांक 14.06.2019 एवं दिनांक 15.06.2019 को मौका रिपोर्ट भी ली गई है। मौका रिपोर्ट दिनांक 14.06.2019 में निर्माण कार्य नहीं करने का दिनांक 13.06.19 को निर्माण कार्य करने उल्लेख किया गया है। दिनांक 15.06.2019 की मौका रिपोर्ट में निर्माण कार्य करते हुये पाये जाने पर अपीलान्ट एवं चिनाई कर रहे कारीगर आदि को निर्माण कार्य बन्द करने हेतु पाबन्द किया गया। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने गैर मुमकिन रास्ता पर अतिक्रमण किया गया है। तहसीलदार बयाना द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुये नियमों के अन्तर्गत अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते है। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ तहसीलदार बयाना को लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को सुनाया गया।

(नरेश कुमार मालव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर